मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 103 /137/2014/18–3 भोपाल, दिनांक 23 /01/2014

प्रति,

1 समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश।

2. समस्त आयुक्त,
नगर पालिका निगम
मध्यप्रदेश।

3. समस्त
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद
मध्यप्रदेश।

विषय :– आवासीय कॉलोनियों के बंधक पत्र दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं उनका पंजीयन कराने के संबंध में।

—000—

मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998 के नियम 12 (एक) के अनुसार 25 प्रतिशत भूखण्ड या भवन या फ्लेट्स संबधित नगर पालिका में बंधक रखने का प्रावधान था और म.प्र. राजपत्र असाधारण प्रकाशन दिनांक 22.04.13 द्वारा नियम–12 में संशोधन कर आंतरिक विकास व्यय सुनिश्चित करने हेतु भूखण्ड या भवन या फ्लेट्स संबंधित नगर पालिका में बंधक रखने या बैंक गारंटी प्रदाय करने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।

2/ उपरोक्त नियम में विकास अनुज्ञा प्रदाय करने हेतु कलेक्टर एवं आयुक्त नगर निगम को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि कॉलोनाईजर द्वारा भूखण्ड या भवन या फ्लेट्स बंधक रखने का विकल्प प्रस्तुत किया जाता है तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 38 (ख) के तहत नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क अदा कर तैयार किये गये एवं पंजीकृत बंधक पत्र को ही मान्य किया जाना चाहिए।

3/ अतः निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रभावशील स्टाम्प शुल्क अदा कर पंजीकृत कराये गये बंधक पत्रों को मान्य कर विकास अनुज्ञा प्रदाय की जाए।

(आर.एस. वर्मा)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग

पृ. क्र. /137/2014/18–3 भोपाल, दिनांक /01/2014

प्रतिलिपि –

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, म.प्र. भोपाल की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 4396 दिनांक 08.11.13 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग